



**भारत सरकार**  
**खान मंत्रालय**  
**भारतीय खान ब्यूरो,**  
**क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय**  
द्वितीय तल, जी10 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र0- छ0ग0/कांकेर/लौ0अ0-1/रायपुर

30 छ0ग0 08001

दिनांक :— 13 / 12 / 2019

प्रति,

श्री मेघपाल सिंह,  
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्ज़ीक्युटिव निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर  
सर्वश्री जायसवाल निको ईन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,  
एफ-8, एम0 आई0 डी0 सी0 ईन्डस्ट्रीयल एरिया, हिंगना रोड,  
नागपुर, जिला — नागपुर, महाराष्ट्र- 440 016

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 25.00 हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14/11/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री टी0 प्रसन्ना कुमार, प्रेसीडेंट (माईन्स) एवं खान ऐजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide KNK/FE/MPLN-1149/2018-Raipur dated 23/05/2018 for the period of 2018-19 to 2021-22: <b>Development:</b> In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given for the production and development during the year 2019-20 in-between UTM coordinates N2216040 to N2216500 and E497605 to E498200 whereas, in addition to the proposed area, the excavation and mineral production has been found in between N2216210 to N2216410 and E497660 to E497910

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. श्री टी० प्रसन्ना कुमार, प्रेसीडेंट (माईन्स) एवं खान ऐजेंट, दल्ली-भानुप्रतापपुर रोड, पोस्ट- भानुप्रतापपुर, जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़), पिन कोड-494669.
4. सर्वश्री जायसवाल निको ईन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, बिलासपुर रोड, सिलतरा, रायपुर (छत्तीसगढ़), पिन कोड-493111

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर